

दिनांक: 11 अगस्त 2023

## डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून

इस लेख में "दैनिक करंट अफेयर्स" के विषय में "शासन व्यवस्था, संविधान शासन-प्रणाली, सामाजिक न्याय" से संबंधित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून को शामिल किया गया है।

**प्रीलिम्स के लिए ?**

- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून
- सुरक्षा, निजता का अधिकार

**मुख्य परीक्षा के लिए-**

- सामान्य अध्ययन- II: शासन व्यवस्था, संविधान शासन-प्रणाली, सामाजिक न्याय सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून

**संदर्भ-**

- हाल ही में लोकसभा में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2023 पारित किया है।

**प्रमुख बिन्दु-**

**मजबूत डेटा संरक्षण व्यवस्था की आवश्यकता**



किसी भी प्रकार की जानकारी, सूचना का संग्रह डाटा कहलाता है। यह शब्दों के रूप में, विडियो, फोटो के रूप में हो सकता है। वर्तमान में डेटा उद्योग को एक नया ईंधन के रूप में देखते हैं जैसे-जैसे भारत की डेटा अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, यह उन समृद्ध डेटा को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है जो भारतीय हर दिन अनगिनत प्लेटफार्मों पर लॉग इन करते समय अपने डेटा को साझा करते हैं, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग करना हो, आनलाइन वस्तुओं की खरीदारी, या फिर सोशल मीडिया पर अपने विचारों को साझा करना इन सभी ने के डेटा संरक्षण की जरूरत को महसूस किया है। बढ़ते डेटा के साथ साथ, **निम्नलिखित कुछ चुनौतियों मौजूद हैं। जैसे-**

**डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए खतरा:-**

- महामारी के बीच डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम जोखिम कई गुना बढ़ गया है। डेटा वृद्धि के साथ साथ साइबर अपराधों का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। हैकिंग, फिशिंग, फ्रॉड, आदि की चुनौतियों से बचाव के लिए तकनीकी सुरक्षा के उपायों का विकास करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, रैसमवेयर, मोबिकिक में डेटा उल्लंघन।

### राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता:

- सुरक्षा एजेंसियों के डेटा से राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने का खतरा हो सकता है और कई निजी संस्थाएं डेटा स्थानीयकरण के खिलाफ हैं।

### डेटा अनुशासन:

- बड़े मात्रा में डेटा को प्रबंधित करने, उसकी स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय विनियमन की पालन करने के लिए योग्यता और प्रगति की आवश्यकता है।

### कानून की कमी:

- अपर्याप्त डेटा संरक्षण कानून और असीमित सरकारी पहुंच एक अधिनायकवादी शासन (आधार अधिनियम) का कारण बन सकती है।

### विज्ञान और अनुसंधान:

- डेटा की विविधता और मात्रा विज्ञान और अनुसंधान में नवाचार के अवसर प्रदान कर सकती है, जिससे तकनीकी और औद्योगिक उन्नति हो सकती है।

### डिजिटल भारत:

- डेटा संरक्षण व्यवस्था डिजिटल भारत की मिसाल बना सकती है, जिससे बेहतर ई-सेवाएँ, ऑनलाइन शिक्षा, और आर्थिक समावेशन के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। वर्तमान में, व्यक्तिगत डेटा को आईटी अधिनियम, 2000 द्वारा विनियमित किया गया था। हालांकि, यह अधिनियम केवल विदेशी कंपनियों पर लागू था जो भारत में काम कर रहे कॉर्पोरेट्स हैं।

### पट्टास्वामी बनाम भारत (2017):-

- सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत डेटा गोपनीयता को मौलिक अधिकार घोषित किया है।

### विधेयक के मुख्य प्रावधान-



### दायरा:

- बिल भारत के भीतर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण पर लागू होता है जहां इस तरह के डेटा हैं: (i) ऑनलाइन एकत्र किए गए, या (ii) ऑफ़लाइन एकत्र किए गए या डिजिटल रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण पर भी लागू होगा यदि यह भारत में वस्तुओं या सेवाओं की पेशकश करता है तो वह भी इस कानून के अधीन होगा।

### सहमति:

- व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के बाद ही व्यक्तिगत डेटा को वैध कारण से संसाधित किया जा सकता है। सहमति लेने से पहले एक नोटिस दिया जाना चाहिए।
- नोटिस में एकत्र किए जाने वाले व्यक्तिगत डेटा और प्रसंस्करण के उद्देश्य के बारे में विवरण होना चाहिए।

### सहमति की कम उम्र:

- विधेयक केंद्र सरकार को माता-पिता की सहमति के बिना इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करने के लिए 18 वर्ष से कम उम्र की सहमति देने का अधिकार देता है, यदि वे जिस प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग कर रहे हैं वह उनके डेटा को "सत्यापन योग्य सुरक्षित तरीके" से संसाधित कर सकता है। इसमें अनिवार्य रूप से अन्य चीजों के अलावा एडटेक क्षेत्र के साथ-साथ चिकित्सा अनुप्रयोगों के व्यवसायों के लिए एक व्हाइट-लिस्टिंग रणनीति शामिल होगी।

### सीमा पार डेटा प्रवाह में आसानी:

- केंद्र ने व्हाइटलिस्टिंग दृष्टिकोण से ब्लैकलिस्टिंग तंत्र की और बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में सीमा पार डेटा प्रवाह को काफी आसान बनाने का प्रस्ताव दिया है। इससे पहले, सरकार ने कहा था कि वह उन देशों की सूची जारी करेगी जहां डेटा प्रवाह की अनुमति दी जाएगी।

### सोशल मीडिया कंपनियों पर प्रभाव:

- महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूशरीज (भारी मात्रा में और संवेदनशील डेटा को संसाधित करने वाले फिड्यूशरी) को अपना स्वयं का उपयोगकर्ता सत्यापन तंत्र विकसित करना होगा।
- यह उपयोगकर्ताओं की डेटा को हेरफेर करने और ट्रोलिंग, फ़ेक न्यूज और साइबरबुलिंग को कम करेगा।

### छूट:

- डेटा प्रिंसिपल के अधिकार और डेटा फिड्यूशरीज के दायित्व (डेटा सुरक्षा को छोड़कर) निर्दिष्ट मामलों में लागू नहीं होंगे।
- **इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:** (i) अपराधों की रोकथाम और जांच, और (ii) कानूनी अधिकारों या दावों का प्रवर्तन।
- केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, विधेयक के आवेदन से कुछ गतिविधियों को छूट दे सकती है।
- **इनमें शामिल हैं:** (i) राज्य और सार्वजनिक व्यवस्था की सुरक्षा के हित में सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रसंस्करण, और (ii) अनुसंधान, संग्रह या सांख्यिकीय उद्देश्य।

### डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया:

#### केंद्र सरकार डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना करेगा। बोर्ड के प्रमुख कार्यों में शामिल हैं:

- (i) अनुपालन की निगरानी करना और जुर्माना लगाना, (ii) डेटा उल्लंघन की स्थिति में आवश्यक उपाय करने के लिए डेटा फिड्यूशरीज को निर्देशित करना, और (iii) प्रभावित व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायतों को सुनना।
- बोर्ड के सदस्यों को दो साल के लिए नियुक्त किया जाएगा और वे फिर से नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

### दंड:

#### विधेयक की अनुसूची विभिन्न अपराधों के लिए दंड निर्दिष्ट करती है जैसे:

- (i) बच्चों के लिए दायित्वों को पूरा न करने के लिए 200 करोड़ रुपये,
- (ii) डेटा उल्लंघनों को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय करने में विफलता के लिए 250 करोड़ रुपये।
- जांच करने के बाद बोर्ड द्वारा जुर्माना लगाया जाएगा।

### महत्व-

- **कानून प्रवर्तन:** डेटा स्थानीयकरण कानून-प्रवर्तन एजेंसियों को जांच और प्रवर्तन के लिए डेटा तक पहुंचने में मदद कर सकता है।
- अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार डेटा स्थानांतरित करने के लिए द्विपक्षीय "पारस्परिक कानूनी सहायता संधियों" को अंजाम देने की प्रक्रिया कठिन है।
- **साइबर सिक््योरिटी:** हाल ही में पेगासस नाम के इजरायली सॉफ्टवेयर द्वारा कई वॉट्सऐप अकाउंट हैक किए गए थे।
- **फेक न्यूज पर अंकुश लगाना:** लीचिंग, राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों आदि जैसे कई उदाहरणों को अब समय पर रोका जा सकता है।
- **डेटा संप्रभुता:** डेटा स्थानीयकरण से भारत सरकार की इंटरनेट दिग्गजों पर कर लगाने की क्षमता भी बढ़ेगी।

### चिंताएं/चुनौतियां-

#### राज्य को छूट से गोपनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है:

- राज्य द्वारा व्यक्तिगत डेटा प्रसंस्करण को विधेयक के तहत कई छूट दी गई हैं।
- **संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार,** राज्य में शामिल हैं: केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, और सरकार द्वारा स्थापित प्राधिकरण और कंपनियां।
- इस तरह की छूट के साथ कुछ मुद्दे हो सकते हैं।

#### गोपनीयता के अधिकार के साथ संघर्ष में:

- कार्यपालिका को कई मुद्दों पर नियमों का मसौदा तैयार करने का **अधिकार देकर, प्रस्तावित विधेयक** केंद्र सरकार के लिए व्यापक विवेकाधीन शक्तियां बनाता है और इस प्रकार लोगों के निजता के अधिकार की रक्षा करने में विफल रहता है।
- **उदाहरण के लिए**, डेटा संरक्षण की धारा 18 के तहत, यह केंद्र सरकार को किसी भी सरकार, या यहां तक कि निजी क्षेत्र की संस्थाओं को केवल एक अधिसूचना जारी करके बिल के प्रावधानों से छूट देने का अधिकार देता है।

### किसी व्यक्ति की सहमति:

- जहां राज्य कोई लाभ, सेवा, लाइसेंस, परमिट या प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत डेटा संसाधित करता है, वहां विधेयक व्यक्ति की सहमति का स्थान लेता है।
- यह स्पष्ट रूप से इनमें से किसी एक उद्देश्य के लिए एकत्र की गई जानकारी को दूसरे उद्देश्य के लिए उपयोग करने की अनुमति देता है। यह इनमें से किसी भी उद्देश्य के लिए राज्य के पास पहले से उपलब्ध व्यक्तिगत डेटा के उपयोग की भी अनुमति देता है।

### जोखिमों का विनियमन:

- बिल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण से उत्पन्न होने वाले नुकसान के जोखिमों को विनियमित नहीं करता है।

### डेटा पोर्टेबिलिटी के लिए कोई अधिकार नहीं:

- बिल डेटा पोर्टेबिलिटी का अधिकार और डेटा प्रिंसिपल को भूलजाने का अधिकार नहीं देता है।

### भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा का हस्तांतरण:

- बिल केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित देशों को छोड़कर, भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा के हस्तांतरण की अनुमति देता है।
- यह तंत्र उन देशों में डेटा संरक्षण मानकों का पर्याप्त मूल्यांकन सुनिश्चित नहीं कर सकता है जहां व्यक्तिगत डेटा के हस्तांतरण की अनुमति है।

### डेटा संरक्षण बोर्ड के साथ समस्याएँ:

- भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड के सदस्यों को दो साल के लिए नियुक्त किया जाएगा और वे फिर से नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।
- पुनर्नियुक्ति की गुंजाइश के साथ अल्पावधि बोर्ड के स्वतंत्र कामकाज को प्रभावित कर सकती है।

### आगे का रास्ता-

- **डेटा संरक्षण नीतियाँ:** सरकार को स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सशक्त डेटा के परिचालन तथा व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा और उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता को सुनिश्चित करें।
- **साइबर सुरक्षा की व्यवस्था:** डेटा संरक्षण के लिए साइबर सुरक्षा में निवेश करना आवश्यक है। सरकार को साइबर अपराधों की रोकथाम और पुनरुद्धार के लिए तकनीकी और कानूनी उपाय विकसित करने चाहिए।
- **जागरूकता अभियान:** लोगों को डेटा सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान आयोजित करना चाहिए। लोगों को उनकी गोपनीयता की रक्षा करने के तरीकों के बारे में शिक्षा देनी चाहिए।

स्त्रोत- द हिन्दू-

### प्रारम्भिक परीक्षा प्रश्न

#### निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

- व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के बाद ही व्यक्तिगत डेटा को वैध कारण से संसाधित किया जा सकता है।
- केंद्र सरकार डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना किया जाएगा।
- डेटा उल्लंघनों को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय करने में विफलता के लिए 250 करोड़ रुपये जुर्माना।

#### निम्नलिखित में से कितने कथन सत्य है?

1. केवल 1
2. केवल 2
3. उपरोक्त में से सभी।

4. उपरोक्त में से कोई नहीं।

उत्तर(3)

**दैनिक मुख्य परीक्षा प्रश्न-**

प्रश्न- भारत में डेटा सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2023 का विश्लेषण कीजिए।

Rajiv Pandey

## तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023

इस लेख में "दैनिक करंट अफेयर्स" के विषय में "सामान्य अध्ययन- 3 (प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन) से संबंधित तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 को शामिल किया गया है।

प्रीलिम्स के लिए ?

- तटीय जलीय कृषि, तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड)
- तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण,

मुख्य परीक्षा के लिए-

- सामान्य अध्ययन- 3, तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023

सुर्खियों में क्यों:-

- तटीय जलीय कृषि से संबंधित नियमों को संबोधित करने के लिए तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 को भारत की संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया गया है।



प्रमुख बिन्दु-

- इस संशोधन के माध्यम से सीएए अधिनियम के तहत तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) के नो डेवलपमेंट जोन (एनडीजेड) [एचटीएल से 200 मीटर] के भीतर हैचरी, ब्रूड स्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर (बीएमसी) और न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर (एनबीसी) जैसी जलकृषि इकाइयों की स्थापना के लिए विशिष्ट छूट दी गई है।

छोटे किसानों को सशक्त बनाना:-

- तटीय जलकृषि को तटीय विनियमन क्षेत्रों (सीआरजेड) में अनुमेय के रूप में पुन पुष्टि की गई।
- सीमांत किसानों के लिए बहु-एजेसी मंजूरी को सुव्यवस्थित करना, नौकरशाही बाधाओं को कम करना।

छूट-

- सीआरजेड के नो डेवलपमेंट जोन (एनडीजेड) में हैचरी की अनुमति देता है, जो टिकाऊ जलीय कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देता है।

- गैर-अनुपालन के लिए कड़े दंड को नागरिक जुर्माना के साथ प्रतिस्थापित करता है, निष्पक्ष परिणाम सुनिश्चित करते हुए अनुपालन को बढ़ावा देता है।

### पर्यावरण के अनुकूल प्रथाएं:-

- पिंजरे की खेती और समुद्री शैवाल की खेती जैसे पर्यावरण के अनुकूल जलीय कृषि विधियों को प्रोत्साहित करता है।
- रोग मुक्त स्टॉक बनाए रखने और एंटीबायोटिक उपयोग को सीमित करने पर केंद्रित है, स्वस्थ समुद्री भोजन उत्पादन को बढ़ावा देता है।

### व्यापार में आसानी:-

- जलीय कृषि प्रतिष्ठानों के लिए परिचालन प्रक्रियाओं को सरल बनाता है।
- परिवर्तनों के लिए पंजीकरण प्रक्रियाओं को समायोजित करता है, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाता है और संचालन में आसानी करता है।

### पर्यावरण अनुपालन:-

- जलीय कृषि संचालन से प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उत्सर्जन मानक निर्धारित करता है।
- जिम्मेदार पर्यावरणीय प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए "प्रदूषक भुगतान सिद्धांत" को लागू करता है।
- पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्रों की रक्षा के लिए संवेदनशील क्षेत्र जलीय कृषि को प्रतिबंधित करता है।

### विकास और उपलब्धियां:-

- पिछले एक दशक में झींगा उत्पादन और समुद्री भोजन निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि।
- झींगा उत्पादन 22 लाख टन से 11.84 लाख टन तक तीन गुना हो जाता है।
- समुद्री खाद्य निर्यात 30,213 करोड़ रुपये से बढ़कर 63,969 करोड़ रुपये हो गया।
- झींगा निर्यात 19,368 करोड़ रुपये से 123 प्रतिशत बढ़कर 43,135 करोड़ रुपये हो गया।

### अस्पष्टताओं को संबोधित करना:

- तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचनाओं से संबंधित संघर्षों को हल करता है, नियमों में स्पष्टता प्रदान करता है।

### सतत दृष्टि:

- जलीय कृषि में सर्वोत्तम प्रथाओं, विविधीकरण और सुरक्षित उत्पादों का परिचय देता है।
- इसका उद्देश्य तटीय समुदायों में आय और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है।

### आर्थिक प्रभाव:

- जलीय कृषि गतिविधियों में लगे छोटे किसानों का समर्थन करता है।
- ईंधन निर्यात वृद्धि, अर्थव्यवस्था में योगदान।
- जलीय कृषि-आधारित नौकरियों और उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है।

### विधायी मील का पत्थर:

- तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक का पारित होना जलकृषि क्षेत्र में कुशल विनियमन और उद्योग विस्तार को दर्शाता है।

### तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड):

- तटीय नियमन क्षेत्र (Coastal Regulation Zone – CRZ) एक प्रकार का पर्यावरणीय नियमन है जो भारत में तटीय क्षेत्रों के विकास और संरक्षण को नियंत्रित करने के लिए स्थापित किया गया है। यह नियमन क्षेत्र भारतीय समुद्र तटों के आस-पास क्षेत्रों को संरक्षित रखने और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने का उद्देश्य रखता है।

- CRZ का प्राथमिक लक्ष्य समुद्र तट परिसर में जीव-जंतु जीवन, प्राकृतिक संसाधनों और जलवायु के संरक्षण को सुनिश्चित करना है। यह तटीय क्षेत्र की बदलती मानसिकता के साथ जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने का प्रयास करता है, जिसमें विकास और पर्यावरणीय संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जाता है।

### CRZ के तहत कुछ महत्वपूर्ण नियम शामिल हैं, जैसे कि:-

- **क्षेत्रीय तटीय क्षेत्र (Region A):** इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्यों की अनुमति नहीं होती है, इसमें सबसे आवश्यक संरक्षण होता है।
- **तटीय समुद्र (Tidal Water):** इस क्षेत्र में भी निर्माण कार्यों की सीमा होती है, लेकिन कुछ परिमितियों के साथ।
- **बंदरगाह (Ports):** तटीय क्षेत्र में बंदरगाहों के विकास के नियम निर्धारित किए गए होते हैं।
- **तटीय क्षेत्रों में विकास (Development in Coastal Areas):** तटीय क्षेत्र में विकास के कार्यों की सीमा और शर्तें निर्धारित की जाती हैं, जो स्थानीय समुद्र तटीय जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा की सुनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए तय की जाती हैं।

CRZ के अनुसार, तटीय क्षेत्रों में विकास कार्यों को आवश्यकता और संरक्षण के साथ मिलाने का प्रयास किया जाता है ताकि प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और समुद्र तटीय परिसर की अविलंबितता सुनिश्चित हो सके। यह नियमन विभिन्न केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा निगरानी और पालन किया जाता है। **इसको कई प्रकार से विभाजित किया जाता है।**

- **सीआरजेड-I (पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र):** निर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए सीमित निर्माण; मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियों जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों का संरक्षण।
- **सीआरजेड-II (नगरपालिका सीमाओं के भीतर विकसित क्षेत्र):** खतरनाक लाइन के भूमि की ओर इमारतों की अनुमति है; कुछ गतिविधियों की अनुमति है।
- **सीआरजेड-III (अबाधित और ग्रामीण क्षेत्र):** नो डेवलपमेंट जोन (हाई टाइड लाइन से 0-200 मीटर) के भीतर कोई विकास नहीं; प्रतिबंधित क्षेत्र में सीमित गतिविधियां (200-500 मीटर)।
- **सीआरजेड-IV (जलीय क्षेत्र):** पारंपरिक मछली पकड़ने की अनुमति; अनुपचारित सीवेज या अपशिष्ट निपटान पर सख्त प्रतिबंध।
- **द्वीप संरक्षण क्षेत्र अधिसूचना:** अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह के अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा।

**स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस**

### प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न -

**तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 में विशिष्ट छूट दी गई है विचार कीजिए?**

- इस संशोधन के माध्यम से सीएए अधिनियम के तहत तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) को नो डेवलपमेंट जोन।
- (एनडीजेड) एचटीएल से 200 मीटर के भीतर हैचरी, ब्रूड स्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर (बीएमसी)।
- न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर (एनबीसी) जैसी जलकृषि इकाइयों की स्थापना।

**उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?-**

1. केवल 1
2. केवल 2
3. उपरोक्त में से सभी।
4. उपरोक्त में से कोई नहीं।

**मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न - तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 में विशिष्ट छूट दी गई है यह किस तरीके से तटीय क्षेत्रों में बढ़ावा देगा। विचार कीजिए?**

**Rajiv Pandey**